आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अतिक्रमण अभिलेख सं0– 04/2022-23	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी सहित
07.02.2023	राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक, बेरमो (प्रथम पक्ष) के द्वारा आवेदित किया गया है कि मौजा–ढोरी, थाना नं0–68 खाता नं0–131 प्लॉट सं0–3189 पर उक्त भूमि में श्री जगनारायण ओझा पिता–हरदेव ओझा, पता राजबेड़ा (द्वितीय पक्ष) के द्वारा गुमटी खड़ा कर अतिक्रमण किया गया है। झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम XV वर्ष 1956) की धारा 2 की उप–धारा (2) के तहत् (द्वितीय पक्ष) को नोटिस निर्गत करें एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 21/02/2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	
21/02/2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त है अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष उपस्थित हुयें। इन्होंने आवेदित किये है कि मेरे द्वारा मौजा–ढोरी, थाना नं0–68 खाता नं0–131 प्लॉट सं0–3189 पर अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा भी उस आशय का प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमणकारी के द्वारा उक्त भू–खण्ड को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो) अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)	

कार्यालय अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)

प्रपत्र I

झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 की धारा 3 के अधीन

वाद - 04/22-23

नोटिस का प्रपत्र

प्रेषित,

श्री / श्रीमती जगनारायण ओझा पुत्र / पत्नी / पुत्री हरदेव ओझा
ग्राम राजा बेड़ा (नया रोड फुसरो) के निवासी ...
थाना संख्या 68 थाना बेरमो जिला बोकारो

जबकि आप ग्राम नया रोड फुसरो थाना संख्या 68
थाना बेरमो जिला बोकारो के

भूखंड सं0 3189 पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराये गये है जो कि झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम XV वर्ष 1956) की धारा 2 की उप–धारा (2) में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। एतद् द्वारा आपसे मेरे समक्ष 21.02.23 को 12:00 बजे उपस्थित होने तथा कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि ऐसा अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जायेगा।

2. ध्यान रखें कि अगर आप उपर वर्णित स्थान तथा समय पर उपस्थित रहने में विफल रहते हैं, मामले का निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

तिथि 07.02.2023

7/2/23

अंचल अधिकारी
समाहर्ता
बेरमो (बोकारो)

कार्यालय अंचल अधिकारी बेरमो, बोकारो

O/C

Received
Ryal aryan Jha
08/02/23

सेवा में

अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)

विषय :- अतिक्रमण मुक्त कर उपस्थित होने के संबंध में

महाशय

सविनय निवेदन यह है कि मैं श्री जगन्नारायण ओझा पिता श्री हरदेव ओझा बनिया रोड फुसरो का निवासी हूँ श्रीमान कार्यालय से ~~वाद संख्या~~ अतिक्रमण वाद सं. - 4/2022-23 मे नोटिस प्राप्त हुआ था।

अतः श्रीमान कार्यालय को मैं सूचीत करता हूँ मैंने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। आज दि० 21/02/2023 को कार्यालय में उपस्थित हो कर आवेदित कर रहा हूँ प्राप्ति स्वीकार करने का कृपा करें

आपका विश्वासी

Jagnarayan Ojha

21/02/2023

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2023.03.02 12:46:44 +05:30
Location: 192.168.29.161